

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान  
आई.ए.एस.

08/2017

सुन्दर पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनू जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

विरुद्ध आदेश दिनांक 26.09.2016 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी राजस्थान  
सरकार बनाम कैलाश मु.न. 179/2015 अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री अमित शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.01.2021

हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 26.09.2016 के प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :- अपीलान्त ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 3.66 खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिचारी नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका पट्टा नम्बर है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 237 के राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 5/12/राज./ग्रुप-4/78/12 के अनुसार जिला झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.02.1983 द्वारा आबादी भूमि विस्तार किया गया था। यह पट्टा नम्बर 92 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार किया गया था। इस आदेश की अनुपालना के लिए अपीलान्त को वर्तमान खसरा नम्बर 237 में भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 118/3/2 जारी किया गया था, जिस पर विधिक रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलार्थी काबिज है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में कार्यवाही अतिक्रमी के विरुद्ध की जा सकती है, परन्तु पट्टेधारी के विरुद्ध नहीं की जा सकती। (2006(1) डी.एन.जे.(राज) 164 )। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.02.1983 को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्त विवादित भूखण्ड के अपीलान्त पट्टा प्राप्त कर गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है तथा इस

जिला कलेक्टर झुंझुनू



अतिरिक्त अपीलान्त के पास अन्य कोई भूमि नहीं है तथा यह भूमिहीन वर्ग से है।  
 इस प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। प्राकृतिक  
 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष  
 का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा केवल  
 प्रक्रिया के आधार पर गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से बसे हुये अपीलान्त  
 परिवारों को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्त  
 जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.09.2016 को अपास्त किया जावे।

इस समय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान नजीर  
 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तथा न्यायालय वरिष्ठ सिविल  
 इंड्रुनु के आदेश दिनांक 23.01.2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में  
 तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि अपीलान्त ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील  
 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 3.66 हैक्टर (गत खसरा नम्बर 118/3/2) में  
 नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका विधिक कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील  
 में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 237 का राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या  
 2/राज/गुप-4/78/12 के अनुसार जिला कलेक्टर इंड्रुनु के आदेश दिनांक 18.02.  
 द्वारा आवादी भूमि विस्तार किया गया था। इस आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत  
 अपीलान्त को वर्तमान खसरा नम्बर 237 में भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2/84 जारी किया  
 जिस पर विधिक रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलार्थी काबिज है। अपीलार्थी के विरुद्ध  
 नु राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते हैं, प्रस्तुत नजीर में इसका साफ  
 है कि पट्टेधारी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही  
 जा सकती है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण विवादित आराजी पर  
 किया है। अपीलार्थी का 30 वर्षों से भी अधिक समय से मौके पर काबिज है तथा  
 भूमिहीन वर्ग से है। अदालत मातहत ने प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच किये बगैर  
 आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की  
 निर्णय अदालत मातहत आदेश दिनांक 26.09.2016 को निरस्त किया जाने का आदेश  
 जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि  
 गैर मुमकीन चारागाह की भूमि है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर  
 निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार  
 है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण  
 आदेश दिये है। अपीलान्त द्वारा जिस पट्टे की भूमि पर अपना कब्जा बताया है, वह  
 नु के न होकर अन्यत्र भूमि के है तथा उक्त पट्टो पर स्थान तथा दिशाओं का  
 नहीं है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश इंड्रुनु के आदेश दिनांक 23.01.2020  
 अनुसार अपीलार्थी को विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश देने के निर्देश दिये गये  
 मातहत ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश पारित किया है। अदालत  
 पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा  
 के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्तस् की  
 फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर इंड्रुनु


का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है

1. पत्रावली परीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 18.02.1983 में कांट-छांट है एवं साथ ही, तथाकथित पट्टा 10गज X 15गज अर्थात 250 वर्गगज का बताया है, जबकि अतिक्रमित भूमि का रकबा 600 वर्गमीटर है। जिसकी बाबत अपीलार्थी ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

2. अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर काबिज है तथा 30 वर्षों से वह विवादित आराजी पर आबाद है। इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थी ने नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की, जिसके अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलार्थी को जारी पट्टा जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश क्रमांक एफ2(अ)राज/83 दिनांक 18 अक्टूबर 1983 की पालना में दिया गया है। उक्त आदेश में आबादी हेतु आवंटित भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में अतिक्रमण की गई भूमि को आबादी हेतु आवंटित की गई भूमि से अलग माना है। जिससे हम सहमत है क्योंकि आवंटन की गई भूमि जोहड़ थी तथा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। इससे यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की भूमि अलग है तथा वर्तमान में किये गये अतिक्रमण कि भूमि अलग है। अपीलार्थी ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, जिसका वर्तमान में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्कों की परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उक्त अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन का सब की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत का सब निर्णय इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू दिनांक 23.01.2020 के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुमर दीन खान)  
जिला कलक्टर,  
झुंझुनू